

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक अरविन्द कुमार सिंह (निबंधन संख्या-1220093) AT- S/O Shankar Dayal Singh, Barka Lauhar, Post-Lauhar Farna, Bhojpur Bihar Pincode 802315 द्वारा काली सूची में दर्ज होने के विरुद्ध दायर अपील अभ्यावेदन (दिनांक 20.07.2023) के सापेक्ष सुनवाई के सम्बन्ध में:-

03/01/2024

आदेश

संवेदक अरविन्द कुमार सिंह (निबंधन संख्या-1220093) AT- S/O Shankar Dayal Singh, Barka Lauhar, Post-Lauhar Farna, Bhojpur एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा उपस्थित।

प्रस्तुत मामला का संक्षिप्त इतिहास यह है कि कार्य प्रमंडल, आरा अन्तर्गत योजनाशीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 MR-N/22-23 Ara/40 (Tender ID- 122282) के तहत मकदुमपुर से बिंदगौवा कोइलवर बबुरा पथ में आमंत्रित निविदा में भाग लिया गया। जिसमें संवेदक द्वारा यंत्र-सयंत्र से संबंधित गलत कागजात (प्रमाणक) अपलोड किये जाने के कारण मुख्य अभियंता-01 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1438 अनु0 दिनांक 29.05.2023 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा का पत्रांक 403 अनु0 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा संवेदक के निबंधन को काली सूची में डलाने हेतु अनुशंसा की गयी।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2934 दिनांक 05.06.2023 द्वारा संवेदक अरविन्द कुमार सिंह से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया। तद्दालोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या- 8123 दिनांक 19.12.2007 द्वारा अधिसूचित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के कंडिका 11 (क), (ix) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 3430 दिनांक 30.06.2023 द्वारा संवेदक अरविन्द कुमार सिंह (निबंधन संख्या-1220093) AT- S/O Shankar Dayal Singh, Barka Lauhar, Post-Lauhar Farna, Bhojpur को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के अन्तर्गत पैकेज संख्या MR-N/22-23 Ara/40 (Tender ID- 122282) के निविदाकार/संवेदक अरविन्द कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-14649/2023 दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 12.10.2023 का पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत है :-

Petitioner is permitted to urge additional grounds before the appellate authority. Such additional grounds be submitted before the appellate authority within a period of one week from today. Thereafter, the appellate authority is hereby directed to consider the appeal. If the appellate authority feels that deciding pending appeal is time consuming, in that event, he is hereby directed to examine whether petitioner is entitled to any interim relief or not? To that effect petitioner is permitted to file interlocutory application in the memorandum of appeal which is pending consideration before the Secretary. Accordingly, CWJC No. 14649 of 2023 stands disposed of.

संवेदक का पक्ष:— संवेदक अरविन्द कुमार सिंह द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन के माध्यम से उपस्थित होकर बताया गया कि कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के अन्तर्गत पैकेज संख्या MR-N/22-23 Ara/40 के निविदा में यंत्र-सयंत्र से संबंधित कागजात गलत संलग्न किये जाने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है। उक्त यंत्र-सयंत्र से संबंधित कागजात India Scientific Corporation द्वारा दिए गए Retail Invoice के Paper पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जबकि वह सीर्फ Retail Invoice है। निविदा में Tax Invoice का भी यंत्र-सयंत्र का कागजात लगाया है, जो बिल्कुल सही है। Retail Invoice सिर्फ समान का Tentative Rate आकलन के लिए लिया जाता है। Retail Invoice का Paper निविदा डालने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा भूलवश अपलोड कर दिया गया, जिसे निविदा के Evaluation में देखने की आवश्यकता ही नहीं थी सुलभ प्रसंग हेतु निविदा में संलग्न Tax Invoice उपलब्ध कराया गया है।

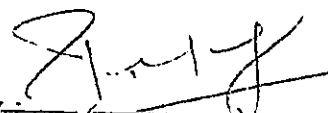
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा द्वारा उपस्थित होकर अपने प्रतिवेदन के माध्यम से बताया गया कि संदर्भित योजना के निविदा में संवेदक अरविन्द कुमार सिंह द्वारा यंत्र-सयंत्र के रूप में India Scientific Corporation का Retail Invoice दिया गया था जिसका सत्यापन India Scientific Corporation से कराया गया, जिसमें पाया गया कि India Scientific Corporation से निर्गत नहीं किया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार स्पष्ट है, कि संवेदक अरविन्द कुमार सिंह द्वारा निविदा में उपलब्ध कराये गये यंत्र-सयंत्र के रूप में India Scientific Corporation का Retail Invoice समर्पित किया गया है, जो सत्यापन के पश्चात् गलत पाया गया है। उल्लेखनीय है कि संवेदक द्वारा समर्पित उक्त गलत कागजात विभागीय अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 द्वारा अधिसूचित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के कंडिका 11 (क), (ix) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-154 सह पठित ज्ञापांक 5403 दिनांक 18.06.2015 के कंडिका-08 के उप कंडिका-04 जिसके तहत ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने संबंधी निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

परन्तु निविदाकार द्वारा उक्त निविदा में समर्पित उक्त गलत कागजात के अतिरिक्त अन्य समर्पित कागजात के रूप में प्रस्तुत किया गया Tax Invoice का यंत्र-सयंत्र का कागजात सही है।

तदालोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 3430 दिनांक 30.06.2023 द्वारा संवेदक अरविन्द कुमार सिंह (निबंधन संख्या-1220093) AT- S/O Shankar Dayal Singh, Barka Lauhar, Post-Lauhar Farna, Bhojpur को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए निर्गत काली सूची के आदेश को संशोधित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-03-114/2023

112

/पटना, दिनांक-05/1/24-

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-03-114/2023

112

/पटना, दिनांक-05/1/24-

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-37/2023

112

/पटना, दिनांक-05/1/24-

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-37/2023

112

/पटना, दिनांक-05/1/24-

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-01-37/2023

112

/पटना, दिनांक 05/1/24-

प्रतिलिपि:- संवेदक अरविन्द कुमार सिंह (निबंधन संख्या-1220093) AT- S/O Shankar Dayal Singh, Barka Lauhar, Post-Lauhar Farna, Bhojpur Bihar Pincode 802315 को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

निबंधित